न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज राधाकिशोर बनाम हीरालाल मु.नं.– 69/24 किस्म – T. I	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1-7-25 अभिभाषको द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया। जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार। दिनांक 3-7-25 को पेश हो।	
	03.7.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र T.I. दिनांक 08.7.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	
	8/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र T.I. पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.I. दिनांक 15.7.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	
	15.7.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.I. दिनांक 19.8.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	19.8.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रामकिशोर बनाम हरिराम मु.नं.– 59/24 किस्म – T.R.	
	राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
59/2024	06.09.2024	19.08.2025

बउनवान

1. रामकिशोर पुत्र सोन्या, निवासी बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. हरिराम पुत्र कंचन, निवासी बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. कमोदी देवी पत्नी हरिराम, निवासी बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. उप तहसीलदार बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री भंवर सिंह, श्री मुकेश सिंह।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बैजूपाडा में स्थित प्रार्थी की आराजीयात खाता सं. 121 खसरा सं. 198 रकबा 58 ऐयर, है जिसमें प्रार्थी का 1/7 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है तथा आराजीयात खाता सं. 123, खसरा सं. 161 रकबा 12 ऐयर, 162 रकबा 8 ऐयर, 685 रकबा 11 ऐयर, 686 रकबा 23 ऐयर, 688 रकबा 13 ऐयर, 689 रकबा 17 ऐयर, 691 रकबा 14 ऐयर, 692 रकबा 20 ऐयर, 693 रकबा 18 ऐयर, 734 रकबा 6 ऐयर, 735 रकबा 4 ऐयर, 736 रकबा 4 ऐयर, 737 रकबा 13 ऐयर, 738 रकबा 14 ऐयर, 739 रकबा 12 ऐयर, 740 रकबा 09 ऐयर, 741 रकबा 12 ऐयर, 742 रकबा 11 ऐयर, 743 रकबा 16 ऐयर, 759 रकबा 28 ऐयर, कुल किता 20 कुल रकबा 2.65 हैक्टे. में प्रार्थी 1/7 हिस्से का खातेदार है तथा आराजीयात खाता सं. 198 में खसरा सं. 109 रकबा 23 ऐयर, 110 रकवा 32 ऐयर, 111 रकबा 16 ऐयर, 112 रकबा 19 ऐयर, 113 रकबा 69 ऐयर, 115 रकवा 62 ऐयर, 122 रकबा 60 ऐयर, 141 रकबा 39 ऐयर, 157 रकबा 11, 158 रकबा 9 ऐयर, 159 रकबा 3 ऐयर, 160 रकबा 10 ऐयर, 163 रकबा 45 ऐयर, 684 रकबा 35 ऐयर, कुल किता 14, कुल रकबा 4.33 हैक्टे. में प्रार्थी का 1/7 हिस्सा है। उक्त आराजीयात में प्रार्थी का 1/7 हिस्सा है तथा सभी सहखातेदार अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। सभी सहखातेदारान ने खसरा नंबर का रकबा छोटा होने के कारण खेती की सुविधा तथा हिस्सानुसार भूमि को बड़ा खेत के हिसाब से बंटवारा बाहामी का काश्त कर रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा करीब 50–60 वर्ष पहले हुआ। प्रार्थी को आपसी सहमति से खसरा नंबर 198 का सम्पूर्ण हिस्सा काश्त करने हेतु दिया। इसी प्रकार अन्य सहखातेदारान आपसी सहमति से अपने हिस्सानुसार काबिज होकर

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

काश्त कर रहे है तथा काश्त का यह कम आज तक शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। खसरा नं. 198 में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज होने के कारण तथा अप्रार्थी घासी पुत्र पांच्या का 1/2 हिस्सा जो गाँव छोड़कर दूसरे गाँव चला गया, उक्त घासी के अन्य खातेदार कतई गुपचुप व पोषिदा तरीके से घासी को गुमराह कर के खसरा नंबर 198 में उसके हिस्सा 1/2 को खरीदना चाहते है जबकि आपसी बहामी बंटवारे से खसरा नं. 198 सम्पूर्ण में प्रार्थी का कब्जा काश्त है। दिनांक 06.09.2024 को प्रार्थी ने सभी सहखातेदारान को एकत्रित कर आपसी सहमति से कब्जा अनुसार बंटवारा करने को कहा तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में चलायी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी को समय पर मिलता रहे तथा अपने हिस्से की भूमि का अलग खाता होने पर हर खातेदार अपनी मर्जी से अपने खाते का उपयोग–उपभोग कर सकेगा लेकिन आपसी सहमति से बंटवारा करने पर सहमति नही बन पायी। इस कारण प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी बुजुर्ग व्यक्ति है तथा अकेला काश्त करने वाला है। प्रार्थी को अन्य सहखातेदारान आपस में परेशान करते रहते है। प्राईमाफेसाई केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त बमुकाबिले अप्रार्थीगण, प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि वे स्वयं, उनके परिवारजन, नौकर, एजेन्ट, मददगारान भूमि खसरा सं. 198 व आराजी खसरा नं. 109, 110, 111, 112, 113, 115, 122, 141, 157, 158, 159, 160, 163, 684 में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न करे, किसी अन्य को भूमि रहन, बेचान न करे, प्राकृतिक उपज प्राप्त करने में वादी के किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें, किसी प्रकार का खाम या पुख्ता निर्माण नही करे तथा मौका व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने के लिए दवामि तौर पर प्रतिबंधित रहे।

2. प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 06.09.2024 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि उभय पक्ष ग्राम बैजूपाडा, पटवार हल्का बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 198 रकबा 0.58 हैक्टे. के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र, नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थीगण ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बन्द किया गया।

4. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि:–

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अनुसार, विवादित आराजी खसरा सं. 198 का प्रार्थी दर्ज रिकॉर्ड सहखातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र तकास्मां तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र का न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। विवादित आराजी खसरा सं. 198 का, वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। विवादित आराजी खसरा सं. 198 के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक, विवादित आराजी खसरा सं. 198 को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम बैजूपाडा, पटवार हल्का बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 198 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 06.09.2024 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थी के हिस्से में कब्जे काश्त में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 19.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)